राजस्थान सरकार
राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎+91–141–2702477, 2702528
E-mail:- rajmadarsaboard@gmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः एफ. ( )रामबो/जय/

दिनांकः .2020

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
जिला जैसलमेर, कोटा, झालावाड़।

विषयः– मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
प्रसंगः– प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक प.3(11)अल्प.वक्फ/2017/आर.के./00597 दिनांक 07.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीरण योजना में 05 मदरसों में विनिर्माण कार्य हेतु संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के प्रासंगिक आदेश से प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है, जो आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस संबंध में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है:–

1. स्वीकृत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मय विस्तृत तकमीना कार्यकारी एजेन्सी से तैयार करवाकर 07 दिवस में प्रेषित करें।
2. जिन मदरसों के पास पानी का स्त्रोत उपलब्ध है उन मदरसों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने एवं पेयजल संग्रहण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तकमीना प्रस्ताव में उक्त कार्य को भी सम्मिलित किया जावे।
3. योजना के दिशा–निर्देशानुसार प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 15.00 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 25.00 लाख निर्धारित है। अतः तकमीना उक्त सीमा को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जावें।

संलग्नः– प्रशासनिक स्वीकृति आदेश।

ok

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

क्रमांकः एफ. ( )रामबो/जय/ 2560–64

दिनांकः 15/9/.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
5. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी .... को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार तकमीना तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।
6. संबंधित मदरसा ....
7. रक्षित पत्रावली।

ok

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

F ADHUNIKIKARAN Letter 87

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.3(11)अल्प.वक्फ / 2017 / RK / 00597 जयपुर, दिनांक 07 सितम्बर, 2020

सचिव,
राजस्थान मदरसा बोर्ड,
जयपुर।

विषयः– **मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना 2019–20 के अन्तर्गत 05 मदरसों में विनिर्माण कार्यो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना गठित चयन समिति द्वारा पात्र पाये गये मदरसों के प्रस्ताव पर संविक्षा उपरान्त निम्नलिखित 05 (पांच) मदरसों के प्रस्तावों को ''मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना'' लाभान्वित किये जाने की प्रशासनिक सहमति वित्तीय बजट शीर्ष 2202–01–800–(05){00}–93–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान मद में से निम्न मदरसों की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	जिला	मदरसा का नाम	पंजीयन संख्या	PS/ UPS	कार्यकारी एजेन्सी	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5		6	7
1	जैसलमेर	मदरसा कादरिया फेजे सिकन्दरिया, ढिब्बा पाडा जिला जैसलमेर	2054	UPS	ग्राम पंचायत	16'x20' के तीन कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा	20.61
2	जैसलमेर	मदरसा फैजे शाह मर्दानशाह अहले सुन्नत श्रीमोहनगढ, जिला जैसलमेर	2077	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के एक कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा, किचन शेड एवं शौचालय यूनिट	11.87
3	जैसलमेर	मदरसा अल्हे सुन्नत मोईनुल इस्लाम तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1972	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
4	झालावाड	मदरसा फजल मेमोरियल स्कूल, चौमहला तह. गंगधार जिला झालावाड	3043	PS	ग्राम पंचायत	14'3'' x14', 14'3''x18', 15'x14' एवं 13'3''x18' के चार कक्षा–कक्ष, सीढ़ियां एवं शौचालय यूनिट (कक्षा–कक्षों का निर्माण प्लीन्थ लेवल से ऊपर)	15.00
5	कोटा	मदरसा जामियतुल हुदा, मोढक स्टेशन, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा	343	UPS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00

नोट :– उक्त प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:–

1. स्वीकृत किये गये कार्यो का संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय विस्तृत तकमीना सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मंगाया जावेगा। कार्यकारी ऐजेन्सियों से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का तकनीकी सदस्य द्वारा परीक्षण करवाने के पश्चात ही वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. स्वीकृत कार्य के मदरसे का मदरसा का प्रबन्धन समिति द्वारा योजना के दिशा–निर्देशानुसार कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत राशि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी। तत्पश्चात राशि का हस्तान्तरण कार्यकारी एजेन्सी को किया जावेगा।
3. कार्यकारी एजेन्सी को राशि तीन किश्तों (50:40:10) में हस्तान्तरित की जावेगी।
4. उक्त स्वीकृति में निर्माण कार्य, एजेन्सी के प्रोरेटा चार्ज, कन्टीजेन्सी एवं गुण नियन्त्रण की राशि सम्मिलित है।
5. प्रकरणों के संबंध में योजना के दिशा–निर्देशों में बिन्दु संख्या 8(ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
6. जिन मदरसों में पानी का स्थाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं है उन मदरसों में तकमीना तैयार करते समय पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने एवं पेयजल संग्रहण व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत् तकमीना प्रस्ताव में सम्मिलित किया जावे।
7. समस्त स्वीकृत / चयनित कार्यो का पर्यवेक्षण सचिव, मदरसा बोर्ड द्वारा किया जावेगा।
8. योजना के दिशा–निर्देशों की पालना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मदरसा बोर्ड, जयपुर का होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161901218 दिनांक 07.01.2020 के अनुसरण में जारी का गई है।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner